राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227052 ✉ dsrdsap@rajasthan.gov.in Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 3(1)/ग्रावि/ग्रुप–6/ डांग प्रस्ताव/2022/2432-38 जयपुर, दिनांक 20 DEC 2022

जिला कलक्टर,
करौली ।

विषयः– डांग क्षेत्रीय विकास योजना में कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने के संवंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महादेय, डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड आपके जिले हेतु डांग क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत निम्न दो कार्यों का अनुमोदन किया गया है :–

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	कार्य का नाम	अनु0 लागत राशि	कार्यकारी ऐजेन्सी
1	हरनगर	मासलपुर	Constt. of Box Culvert on a/r to harnagar to parasari	180.00	सानिवि करौली
2	नरायणा	मासलपुर	तलाब रिन्यूवेशन निर्माण कार्य, गणेशापुरा के पास , ग्राम पंचायत नारायणा	50.00	जल संसाधन विभाग करौली
कुल लागत राशि				230.00	

उपरोक्त 2 कार्यों को निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया है।

1. कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कार्य डांग क्षेत्र में चयनित ग्राम हेतु ही मार्गदर्शिका के प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना कराते हुए ही स्वीकृत किये जावे। कोई भी कार्य चयनित ग्राम के क्षेत्र से बाहर स्वीकृत नही किया जाये।
2. उक्त कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना करवाते हुए नियमानुसार जारी की जावे।
3. वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति एवं स्थान अनुसार कार्य की सम्भावित पूर्णता दिनांक/माह अंकित किया जावे एवं तदनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र की दिनांक एवं माह भी अंकित किया जाकर पाबन्द किया जावे।
4. विवादास्पद कार्य स्थल/कार्य की किसी भी दशा में स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
5. वित्तीय स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी, अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर ले कि अनुमोदित सभी कार्य सार्वजनिक हित में उपयोग लिये जायेंगे।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व "Geo Tagging" के साथ ही फोटो ली जावें।
7. यह भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें कि अनुमोदित कार्य सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर ही कराया जा रहा है एवं उसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जावेगा।
8. कार्यों की स्वीकृतियां विभाग द्वारा संचालित E-Work Portal (IWMS) से ही ऑन लाईन जारी की जावें एवं किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन स्वीकृतियां जारी नहीं की जावें।
9. कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या–2.7 के प्रावधानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य स्थल पर मौके का निरीक्षण कर मौके स्थिति अनुसार कार्य मदों का मापदण्ड निर्धारित कर विस्तृत लागत अनुमान एवं डिजाईन नक्शा तैयार किया जावेगा तथा कार्य के संपादन की संभावना/कार्य की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त होने पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।
10. ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या–7.4.2 के प्रावधानुसार किसी भी कार्य की प्रशासनिक/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ऐसे कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की जावे जिस पर होने वाला व्यय निष्फल

होने की संभावना हो। यदि कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई हो या कार्य संपादन होना संभव प्रतीत नहीं होता हो तो ऐसे मामलों में स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(ओमकारेश्वर शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली।
7. एसीपी / प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी)